न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/158/2018

प्रवेश तिथि 27.11.2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री महेन्द्र मोहन उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र, जाति–रैगर, गांव–धीरोड़ा, तहसील–राजगढ, जिला–अलवर–301410		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18.12.2018

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः 08.10.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी विभाग के क्षेत्राधीन संधारित पत्रावली से 02 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।
4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आवेदक को उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 08.10.2018 में वर्णित सूचनायें उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 22.11.2018 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2018/2775–76 दिनांकः 27.11.18 के माध्यम से तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांकः 04.12.2018 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर पत्रांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर. टी.आई.अपील/2018/2797–98 दिनांकः 07.12.18 के माध्यम से पुनः तलब किया गया। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः राजस्व/18/सूअ/748 दिनांकः 03.11.2018 के माध्यम से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा जवाब पत्र दिनांकः 03.11.18 के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया गया कि "अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में पत्र संख्या 4382 दिनांकः 14.11.2018 के माध्यम से सूचना प्राप्ति हेतु तामील के माध्यम सूचना भिजवाई गई किन्तु अपीलार्थी प्रार्थना–पत्र में वर्णित पते (ग्राम–धीरोडा, तह0 राजगढ) पर निवास नहीं करता है, वह जयपुर रहता है। अपीलार्थी से संपर्क करने पर उनके द्वारा जयपुर का पता देने से मना कर दिया गया।"
7. चूँकि अपीलार्थी/आवेदक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु पूर्ण स्पष्ट पता या पोस्ट बॉक्स नंबर का होना अत्यावश्यक है।
8. इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाकर प्रत्यर्थी का समय जाया किया है।

9. उक्त आलोक में प्रथम अपील खारिज की जाती है तथापि लोकहित में प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी वांछित सूचना के संबंध में पूर्ण–स्पष्ट जानकारी उक्त निर्णय के 10 दिवस में उपलब्ध करा देता है तो चिन्हित दस्तावेजों की प्रति हेतु नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर दस्तावेज प्रमाणित कर सूचना जारी कर दी जावे।
10. अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रेषण के लिए वांछित पते संबंधी जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध करायें अथवा प्रत्यर्थी के कार्यालय में कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर दस्तावेजों को चिन्हित कर प्रतिलिपि शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करें।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित ।

(ओ.पी.जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)